

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 109क : अपील प्राधिकारी की नियुक्ति]

- (1) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसके उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, तीन मास के भीतर,—
- (क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;
- (ख) ²[संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी] को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया है।
- (2) इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निदेशित कोई अधिकारी, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर,—
- (क) आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश अपर या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;
- (ख) ³[संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी] को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया है।]
-

¹ अधिसूचना क्रमांक 55/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा नियम 109क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.11.2017)।

² अधिसूचना क्रमांक 60/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा “अपर आयुक्त (अपील)” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।

³ अधिसूचना क्रमांक 60/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.10.2018 द्वारा “अपर आयुक्त (अपील)” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.10.2018)।